कार्यालय प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी (नैनीताल)

दूरभाषः 05946–255255, फैक्स–05946–282578 ईमेल– principal.gmchld@gmail.com

पत्रांक :– 7484 /जीएमसी /एल–1/भूमि हल्द्वानी, दिनांक 16 मार्च, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,
विकास भवन के पीछे, रूद्रपुर, जिला–उधम सिंह नगर।

विषयः– राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी द्वारा 4.25 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु ऑनलाईन अपलोड़ किये गये प्रस्ताव संख्या– FP/UK/DISP/114282/2020 पर एम0ओ0ई0एफ0 द्वारा लगायी गयी ई0डी0एस0।

संदर्भः–एम0ओ0ई0एफ0 के पत्रांक–8बी.यू.सी.पी./09/21/2021/एफ0सी0/2373, दिनांकित 26 फ़रवरी 2021 के क्रम में।

महोदया,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से 4.25 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या–FP/UK/DISP/114282/2020 में एम0ओ0ई0एफ0 द्वारा पायी गयी कमियों पर वांछित सूचनाओं सहित बिन्दुवार आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है–

1- It is to be submitted that the present proposal for transfer of 4.25 hect. Forest land for establishing "State Cancer Institute and Infectious disease hospital under Government Medical College Haldwani" (Online No. FP/UK/DISP/114282/2020) is a **Fresh Proposal for New Construction**. This is proposed to be located on 4.25 hect. of forest land out of the 8.44 hect. of forest land which has been returned to forest department under the directions of REC vide point no.3, in its meeting dated: 22/08/2019.
2- There is no violation in this case since it's a **Fresh Proposal for New Construction.**
3- **DFO.**
4- Comments have to be made by the DFO. It is reiterated that there is no violation in this case since it's a **Fresh Proposal for New Construction.**
5- Comments have to be made by the Nodal Office and State Government. It is reiterated the there is no violation in this case since it's a **Fresh Proposal for New Construction.**
6- The VLC and DLC meeting have been again uploaded online.
7- The tree enumeration list and CA scheme duly authenticated by the DFO have been uploaded again.

8- Comments have to be made by the DFO. It is reiterated that there is no violation in this case since it's a **Fresh Proposal for New Construction** hence the NPV has been calculated on normal rates.

9- The Muck generated during construction is proposed to be used in the leveling of ground and backfilling in the buildings. Hence no Muck disposal plan is required.

10- The required layout map/concept plan of proposed land is being uploading herewith. The layout has been proposed so that felling of minimum number of trees is required.

आपसे अनुरोध है कि उक्तानुसार अवगत होते हुए उक्त प्रस्ताव को संस्तुति सहित ऑनलाईन अग्रसारित करने का कष्ट करेंगी।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

15/3/21

(डॉ0 चन्द्र प्रकाश)
प्राचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी।

सं.– 7484 /(1) C-1/ग्र.नि. उक्त दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, 107, चन्दर नगर, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलौनी, देहरादून।
3. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, अरण्य भवन, रामपुर रोड़, हल्द्वानी।
4. निदेशक, राज्य कैंसर संस्थान, स्वामी राम कैंसर चिकित्साल हल्द्वानी।
5. प्रबन्धक, (सम्पत्ति एवं परियोजना), राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी।

(डॉ0 चन्द्र प्रकाश)
प्राचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी।

प्रपत्र–21

परियोजना का नाम:–जनपद नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए ''राज्य कैंसर संस्थान'' तथा ''संक्रमण रोग चिकित्सालय'' की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान के विस्तारीकरण करते हुए ''राज्य कैंसर संस्थान'' तथा ''संक्रमण रोग चिकित्सालय'' की स्थापना हेतु प्रस्तावित 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि, वार्ड–53 मुखानी तृतीय (हरिपुर सूखा) तहसील– हल्द्वानी, जनपद– नैनीताल (उत्तराखण्ड) की सीमा से लगी हुई है। इस भूमि पर प्रस्तावित ''राज्य कैंसर संस्थान'' तथा ''संक्रमण रोग चिकित्सालय'' की स्थापना किये जाने हेतु वार्ड–53 मुखानी तृतीय (हरिपुर सूखा) तहसील– हल्द्वानी, जनपद– नैनीताल (उत्तराखण्ड) के निवासियों को कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/–
पार्षद

9/9/2020

नरेन्द्र सिंह बगड़वाल (नीरज)
पार्षद वार्ड नं0 53, मुखानी तृतीय
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

मोहर

MAYOR
Municipal Corporation
Haldwani-Kathgodam

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम:–जनपद नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए ''राज्य कैंसर संस्थान'' तथा ''संक्रमण रोग चिकित्सालय'' की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

वार्ड का नाम: वार्ड–53 मुखानी तृतीय (हरिपुर सूखा) तहसील– हल्द्वानी, जनपद– नैनीताल (उत्तराखण्ड)

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नगर– हल्द्वानी–काठगोदाम में राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय का विस्तारीकरण करते हुए प्रस्तावित ''राज्य कैंसर संस्थान'' तथा ''संक्रमण रोग चिकित्सालय'' की स्थापना हेतु **4.25 हेक्टेयर** आरक्षित वन भूमि को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी (चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन)** के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण पर वार्ड–53 मुखानी तृतीय (हरिपुर सूखा) तहसील– हल्द्वानी, जनपद– नैनीताल (उत्तराखण्ड) में दिनांक ....को सम्पन्न बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी को आवेदित वन भूमि का हस्तान्तरण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने विषयक विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं? उपस्थित सभी वार्ड वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा नहीं है, और न ही कृषि कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर वार्डवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

बैठक में उक्त चर्चा के उपरान्त वार्ड वासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि वार्ड–53 मुखानी तृतीय (हरिपुर सूखा) तहसील– हल्द्वानी, जनपद– नैनीताल (उत्तराखण्ड) के निवासियों को राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय का विस्तारीकरण करते हुए ''राज्य कैंसर संस्थान'' तथा ''संक्रमण रोग चिकित्सालय'' की स्थापना वार्ड की सीमा से लगी 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि में किये जाने हेतु इस भूमि का हस्तान्तरण राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी **(चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन)** को किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/–
मेयर

MAYOR
Municipal Corporation
Haldwani-Kathgodam

ह0/– 09/01/2020
पार्षद
नरेन्द्र सिंह बगड़वाल (नीरज)
पार्षद वार्ड नं० 53, मुखानी तृतीय
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नामः–जनपद नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए ''राज्य कैंसर संस्थान'' तथा ''संक्रमण रोग चिकित्सालय'' की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण।

दिनांक 09-09-2020 को वार्ड–53 मुखानी तृतीय (हरिपुर सूखा), तहसील– हल्द्वानी, जनपद– नैनीताल (उत्तराखण्ड) की सम्पन्न बैठक में उपस्थिति–

क्रमांक	बैठक में उपस्थित वार्ड वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गोपाल सिंह बगड़वाल	Gopal Bagdwal
2	Harish Chandra Bhatt	H Bhatt
3	शरद चन्द्र तिवारी	शरद तिवारी
4	Ram Singh Gariya	R gariya
5	ललित मोहन पन्त	L m pant
6	भगवती देवी	भगवती देवी
7	पुष्कर सिंह मेहरा	Pushkar Singh
8	संजय बुधौड़ी	Sanjay
9	Anurag Pandey	A pandey
10	नवीन चन्द्र पाण्डेय	नवीन चन्द्र पाण्डेय
11	Manoj Durgapal	Manoj
12	हरिदत्त जोशी	हरिदत्त
13	कृष्णा सुयाल	कृष्णा सुयाल
14	Narayan Singh	Narayan Singh
15	Hem Chandra Pandey	H.C. pandey
16	मोलाधार	मोलाधार
17	Puran Chandra Tiwari	[signature]

[signature]
MAYOR
Municipal Corporation
Haldwani-Kathgodam

ह0/– [signature] 09-09-2020
पार्षद
नरेन्द्र सिंह बगड़वाल (मोंटू)
पार्षद वार्ड नं० 53, मुखानी तृतीय
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः–जनपद नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" तथा "संक्रमण रोग चिकित्सालय" की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी हल्द्वानी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय का विस्तारीकरण करते हुए प्रस्तावित राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु **4.25 हेक्टेयर** आरक्षित वन भूमि को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी (चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन)** के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील– हल्द्वानी की दिनांक 23.09.2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम– 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विवेक राय, उप जिलाधिकारी, तहसील– हल्द्वानी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैः

1. **श्री विवेक राय, उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी – अध्यक्ष**
2. **श्री उमेश चन्द्र तिवारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, त0के0वन प्रभाग – सदस्य**
3. **श्री हरीश नाथ गोस्वामी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, हल्द्वानी – सदस्य/सचिव**
4. **श्रीमती निर्मला जोशी, खंड विकास अधिकारी, हल्द्वानी – सदस्य**

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद–नैनीताल स्थित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" एवं "संक्रमण रोग चिकित्सालय" की स्थापना किये जाने हेतु **4.25 हेक्टेयर** आरक्षित वन भूमि को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी (चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन)** के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। वार्ड–53 मुखानी तृतीय (हरिपुर सूखा), तहसील– हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल (उत्तराखण्ड) के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। **4.25 हेक्टेयर** आरक्षित वन भूमि का उक्त प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव सम्बन्धित वार्ड में सर्वसम्मति से पारित किया गया है, जिसके आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम– 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में वार्ड–53 मुखानी तृतीय (हरिपुर सूखा), तहसील– हल्द्वानी, जनपद– नैनीताल (उत्तराखण्ड) द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड हल्द्वानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय का विस्तारीकरण करते हुए प्रस्तावित ''राज्य कैंसर संस्थान'' एवं ''संक्रमण रोग चिकित्सालय'' की स्थापना हेतु **4.25 हेक्टेयर** आरक्षित वन भूमि को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी (चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन)** को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

23.09.2020

उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– हल्द्वानी
जनपद– नैनीताल।

उप जिलाधिकारी
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23.9.2020

उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– हल्द्वानी
जनपद– नैनीताल

उप जिलाधिकारी
हल्द्वानी (नैनीताल)

उप प्रभागीय वनाधिकारी (हल्द्वानी)
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर

खण्ड विकास अधिकारी
हल्द्वानी (नैनीताल)

22/9/2020

(एच0 एस0 गोस्वामी)
सहायक समाज कल्याण अधिकारी/
विकास खण्ड अधिकारी
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नामः–जनपद नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए ''राज्य कैंसर संस्थान'' तथा ''संक्रमण रोग चिकित्सालय'' की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
जिला स्तरीय समिति, नैनीताल

जनपद नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय का विस्तारीकरण करते हुए ''राज्य कैंसर संस्थान'' एवं ''संक्रमण रोग चिकित्सालय'' की स्थापना हेतु **4.25 हेक्टेयर** आरक्षित वन भूमि को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी (चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन)** के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय समिति, नैनीताल की दिनांक 23-10-2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम– 2008 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सविन बंसल, जिलाधिकारी, नैनीताल एवं अध्यक्ष जनपद स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

1. **श्री सविन बंसल, जिलाधिकारी, नैनीताल – अध्यक्ष**
2. **डॉ0 अभिलाषा सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, त0के0वन प्रभाग रूद्रपुर** Abhilasha **– सदस्य**
3. **श्री अमन अनिरूद्ध, जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल** Aman 23/10/2020 **– सचिव/सदस्य**
4. **श्रीमती बेला तोलिया, जिला पंचायत सदस्य, नैनीताल** Bela **– सचिव**

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत वन भूमि पर राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय का विस्तारीकरण करते हुए प्रस्तावित राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु **4.25 हेक्टेयर** आरक्षित वन भूमि को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी (चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन)** के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। वार्ड–53 मुखानी तृतीय (हरिपुर सूखा), तहसील– हल्द्वानी, जनपद– नैनीताल (उत्तराखण्ड) के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। **4.25 हेक्टेयर** आरक्षित वन भूमि का उक्त

प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव सम्बन्धित वार्ड में सर्वसम्मति से पारित किया गया है, जिसके आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम–2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में वार्ड–53 मुखानी तृतीय (हरिपुर सूखा), तहसील– हल्द्वानी, जनपद– नैनीताल (उत्तराखण्ड) द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जनपद नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत वन भूमि पर राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" एवं "संक्रमण रोग चिकित्सालय" की स्थापना हेतु **4.25 हेक्टेयर** आरक्षित वन भूमि को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी (चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन)** को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

जिलाधिकारी
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
जनपद– नैनीताल।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

अध्यक्ष
जिला पंचायत, नैनीताल C.S

जिलाधिकारी
नैनीताल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,
रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर

FORM-II

(for project other than Linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector

*****

No. ...54...... Dated: 15-12-2020

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98 FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF isssued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights undr tghe Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forrest Rights) Act, 2006 (TRA,for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **4.25 hectares** of forest land proosed to be diverted in favour of **Government Medical College Haldwani (Department of Medical Education, Govternment of Uttarakhand)** for establishment of "State Cancer Institute" (with expansion of Swami Rama Cancer Hospital Haldwani) and "Infection Disease Hospital" in Nainital district falls within jurisdiction of **Ward-53 Mukhani Third (Haripur Sukha) in Haldwani** tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has beeen carried out for the entire 4.25 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consutations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Ward(s), Sub-Division Level Committeee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure at form- 23.2 and 23.3 of this proposal.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the projet and its implications, in vernacular (local language) have been placed before each concerned Ward of forest dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The each of concerned ward(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the provposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Member of Ward-53 Mukhani third (Haripur Sukha), Tehsil- Haldwani, District- Nainital (Uttarakhand) is enclosed at Form- 23 to 23.1.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Ward were present.

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Ward have given their consent to it.

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of FRA.

Encls: As above.

Signature

(Full name and offical seal of the District Collector)

जिलाधिकारी

नैनीताल

PROPOSED SITE PLAN OF STATE CANCER INSTITUTE AT HALDWANI DIST: NAINITAL
TOTAL LAND 4.25 HECTARE

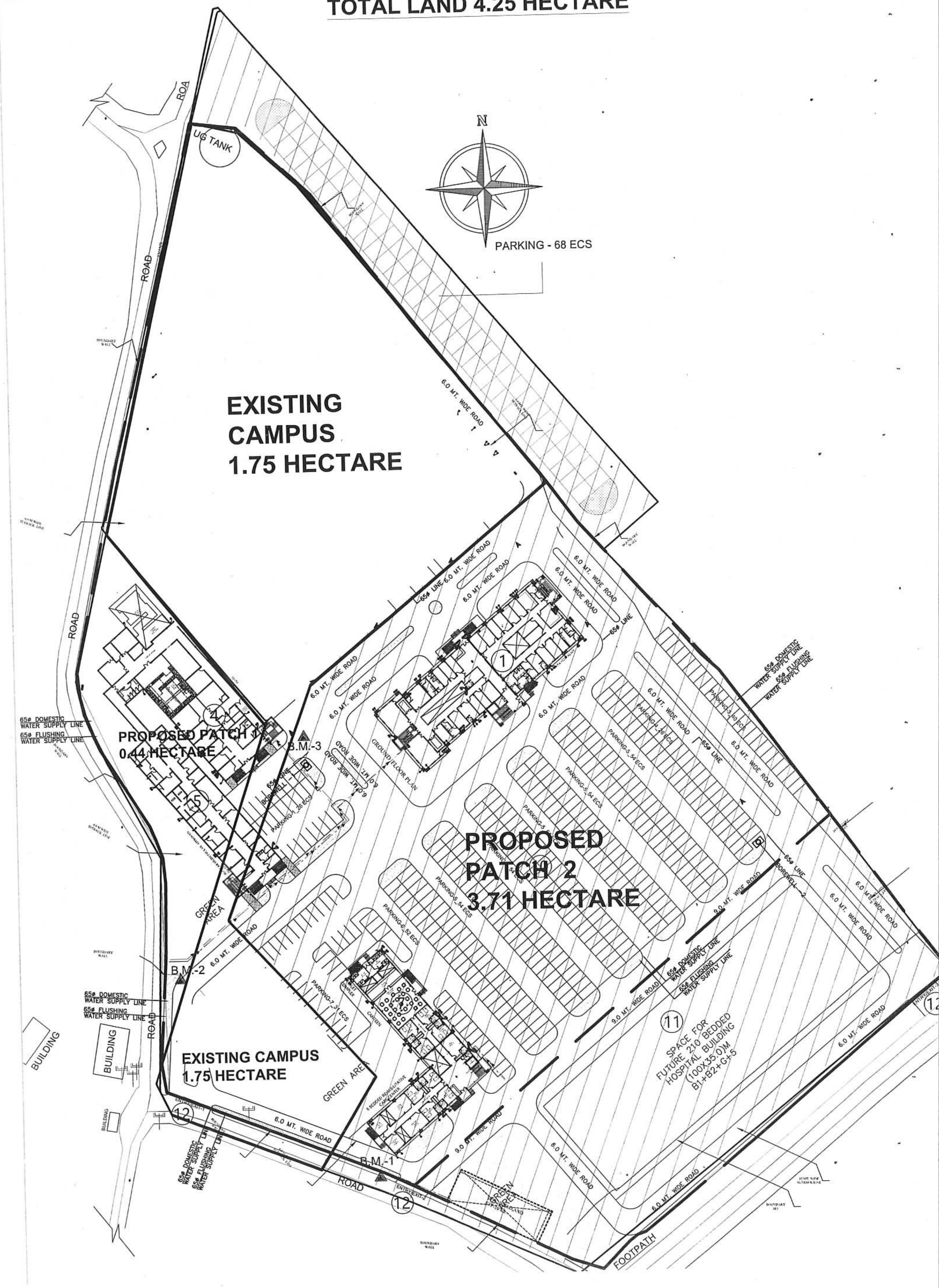

प्रपत्र – 15

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल क विधानसभा हल्द्वानी में तल्ली हल्द्वानी प्लाट संख्या 4 में स्वामी राम कैंसर अनुसंधान की स्थापना हेतु निर्माण कार्य।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनाकं..को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गयी व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी।

आरक्षित वन भूमि पर प्रभावित वृक्ष

क्र0सं0	वन ब्लाक/कम्पार्टमेंट का नाम	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग									कुल वृक्ष	आयतन (घ0 मी0)	वृक्षों का मूल्य
				10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से ऊपर			
1	टाण्डा वन ब्लाक प्लाट संख्या 150	सागौन हरा	टेक्टोना ग्रंडिस	4	44	28	14	3	0	1	0	1	95	67.704	2207506.00
2		सागौन सूखा	टेक्टोना ग्रंडिस	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.639	15716.00
3		कन्जू	होलोपटेलिया इन्ट्रिगिफोलिया	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2.549	16528.00
4		बकैन	मेलिया अजेडाराक	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1.104	1526.00
5		शीशम	डालबरजिया सिसू	0	1	2	0	2	3	0	0	0	8	12.768	459096.00
6		जकरैण्डा	जकरेण्डा निमोसीपोलिया	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1.104	1526.00

क्र0सं0	वन ब्लाक/कम्पार्टमेंट का नाम	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	कुल वृक्ष	आयतन (घ0 मी0)	वृक्षों का मूल्य
01	टाण्डा वन ब्लाक प्लाट संख्या 150	यूकेलिप्टस हरा	यूकेलिप्टस हाईब्रिड	3	19	47	25	42	33	37	14	07	02	05	01	01	236	273.772	814842.00
02		यूकेलिप्टस सूखा	यूकेलिप्टस हाईब्रिड	0	01	0	02	01	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2.563	6047.00
कुल योग																	347	-	2701898.00

वन क्षेत्राधिकारी
हल्द्वानी वन क्षेत्र
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
रुद्रपुर, उधमसिंह नगर

Scanned with CamScanner

प्रपत्र–35

परियोजना का नामः–जनपद नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" तथा "संक्रमण रोग चिकित्सालय" की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु उपलब्ध स्थल का नामः– जिला–पिथौरागढ़, ग्राम रमतोली में 8.50 हेक्टेयर।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षीय आगणन		
क्र0सं0	वर्ष का नाम	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	प्रथम चरण	92686.313
2	द्वितीय चरण	32094.32
3	तृतीय चरण	11313.72
4	चतुर्थ चरण	10453.60
5	पंचम चरण	10453.60
6	षष्टम चरण	10453.60
7	सप्तम चरण	10453.60
8	अष्टम चरण	10453.60
9	नवम् चरण	10453.60
10	दशम चरण	10453.60
कुल योग		**209269.55**

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति हेक्टेयरः रू0 2,09,269.55

क्षतिपूरक योजना हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफलः 4.25 हेक्टेयर x 2 = 8.50 हेक्टेयर

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्ययः 8.50 हेक्टेयर x रू0 209269.55 = **रू0 17,78,791.00**

विस्तृत विवरण संलग्नानुसार।

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राकलन का विवरण

परियोजना का नामः–जनपद नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए ''राज्य कैंसर संस्थान'' तथा ''संक्रमण रोग चिकित्सालय'' की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण।

वृक्षारोपण स्थल का नाम– जनपद–पिथौरागढ़ के ग्राम रमतोली में 8..50 हेक्टेयर सिविल वन भूमि।
प्रस्तावित किये जाने वाले पौधों की संख्या– 2000 पौधे

प्रथम चरण

क्र0सं	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर (रू0)	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	हे0	113.52	113.52
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	0.5	हे0	683.46	341.73
3	अग्रिम दीवार बन्दी (फेन्सिंग) कार्य (245X0.45X1.00)	110.3	घ0मी0	396.73	43739.48
4	पौध लगाना 30 प्रतिशत अधिक 13000+3900 = 16900	1	सं0	1814.00	1814.00
5	गड्ढ़े खुदान (0.30 X 0.30 X 0.45)	2000	गड्ढ़े	8.58	17156.60
6	निरीक्षण बटिया बनाना	1	हे0	567.60	567.60
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	2000	हे0	6.89	13780.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना, वर्ष जल संग्रहण हेतु आवश्यकतानुसार गड्ढ़े खोदना		ल0सं0	1000.00	1000.00
9	प्रवेश सीढ़ी	2	सं0	774.74	1549.48
10	जल संरक्षण कार्य	41	घ0मी0	307.90	12623.90
	योग प्रथम चरण				**92686.31**

द्वितीय चरण

क्र0सं	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर (रू0)	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	गड्ढ़े भरान कार्य (0.30 X 0.30 X 0.45)	2000	गड्ढ़े	1.3458	2691.60
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष) कुल व्यय का 25 प्रतिशत	2000	पौध	1.35	2700.00
3	पौध ढुलान कार्य	2000	पौध	7.48	14960.00
4	पौधारोपण व थालबंदी	2000	पौध	2.4108	4821.60
5	निराई–गुडाई व मल्चिंग (दो बार)	2000	पौध	0.8894	3557.60
6	खाद व दवा पर व्यय	2000	पौध	0.2458	491.60
7	प्रथम वर्ष में वृक्ष या रोपण की देख–रेख व रख–रखाव पर व्यय	1	हे0	697	697.00
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	1	हे0	409.6	409.60
	8.2 सुरक्षा दीवार/घेरबाड के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	1	हे0	263.32	263.32
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागस्कता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रात्साहन देना। अ–प्रशिक्षण	1	हे0	468	468.00
	ब–प्रोत्साहन	1	हे0	234	234.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी इत्यादि क्रय, वृक्षारोपण के समय वर्ष से बचने के लिए पोलीथीन सीट क्रय, वर्ष में दो–तीन बार फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूटेशन आदि कार्य	1	हे0	800	800.00
	योग द्वितीय चरण				**32094.32**

तृतीय चरण

क्र0सं	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर (रू0)	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे0	837	10044.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	1	हे0	409.6	409.60
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना	1	हे0	263.32	263.32
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जाकरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना अ–प्रशिक्षण	1	हे0	362.8	362.80
	ब–प्रोत्साहन	1	हे0	234	234.00
	योग तृतीय चरण				**11313.72**

चतुर्थ चरण

क्र0सं	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर (रू0)	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे0	837	10044
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	हे0	409.6	409.6
	योग चतुर्थ चरण				**10453.6**

पंचम् चरण

क्र0सं	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर (रू0)	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे0	837	10044
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	हे0	409.6	409.6
	योग पंचम चरण				**10453.6**

षष्टम् चरण

क्र0सं	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर (रू0)	प्रति
1	2	3	4	5	6
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे0	837	10044
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	हे0	409.6	409.6
	योग षष्टम् चरण				**10453.6**

सप्तम् चरण

क्र0सं	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर (रू0)	प्रति
1	2	3	4	5	6
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे0	837	10044
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	हे0	409.6	409.6
	योग सप्तम् चरण				**10453.6**

अष्टम् चरण

क्र0सं	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर (रू0)	प्रति
1	2	3	4	5	6
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे0	837	10044
2 .	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	हे0	409.6	409.6
	योग अष्टम् चरण				**10453.6**

नवम् चरण

क्र0सं	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर (रू0)	प्रति
1	2	3	4	5	6
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे0	837	10044
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	हे0	409.6	409.6
	योग नवम् चरण				**10453.6**

दशम् चरण

क्र0सं	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर (रू0)	प्रति
1	2	3	4	5	6
1 .	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	हे0	837	10044
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	हे0	409.6	409.6
	योग दशम् चरण				**10453.6**